सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **99** राँची**,** गुरुवार

8 माघ, 1937 (श०)

28 जनवरी, 2016 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

---

संकल्प

20 जनवरी, 2016

विषय:- अल्पवृष्टि के कारण उत्पन्न पेयजल संकट को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के रूप में सूचीबद्ध करने के सम्बन्ध में।

**संख्या-94--**राज्य में विगत वर्षो में लगातार अल्पवृष्टि के कारण पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न होती रही है।

2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) दिशा निर्देश (परिशिष्ट-I) के कंडिका-3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं (चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्निकांड, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट

आक्रमण, शीतलहर एवं पाला) से प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु ही राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से राशि प्रदान की जा सकती है ।

3. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से खर्च संबंधी नवीनतम मद एवं मापदण्ड (परिशिष्ट- II पत्रांक-32-7/2014-NDM-I, दिनांक 8 अप्रैल, 2015) के कंडिका-13 के अनुसार राज्य के विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से प्रभावितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक कर्णांकित राशि का 10% खर्च किया जा सकता है ।

4. दिनांक 25 अप्रैल, 2015 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय सचिवों की बैठक में दिये गये निदेश, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक-1518, दिनांक 1 मई, 2015 एवं दिनांक- 7 मई, 2015 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य में पेयजल समस्या के समाधान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभिन्न जिलो को कुल-20.00 करोड़ रूपये की राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के वार्षिक कर्णांकित राशि के 10% अर्थात् 36.40 करोड़ रूपये में से आवंटित कर दी गयी है । उक्त आवंटन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति वांछित थी ।

5. उक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा समयक विचारोंपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:-

(I) **'अल्पवृष्टि के कारण पेयजल संकट'** को स्थानीय आपदा के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है ।

(ii) जिन जिलों में गतवर्ष मॉनसून अवधि में वास्तविक वर्षापात सामान्य वर्षापात के 75% से कम हो तथा ग्रीष्मकाल में भूमिगत जलस्तर भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के मानक के अनुसार 4 मीटर तक नीचे चला गया हो वैसे जिले ही लाभुक जिले होंगे ।

(iii) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा ऐसे सभी जिलो को सर्वेक्षण कराकर जल संकट के क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए अधियाचना, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी । तद्नुसार इस कार्य हेतु उपलब्ध राशि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित उपायुक्तों को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(iv) राज्य एवं जिलास्तर पर कार्य की मॉनिटरिंग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा की जायेगी ।

(v) उक्त खर्च हेतु दिशा निर्देश तथा मद एवं मापदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश (परिशिष्ट-I) तथा मद एवं मापदण्ड (परिशिष्ट-II) के समान होंगे ।

(vi) राज्य आपदा मोचन निधि के तहत विमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश का 10% ही सूचीबद्ध विशिष्ट स्थानिय आपदाओं पर व्यय किया जाय ।

(vii) भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-2020 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि हेतु कर्णांकित राशि से राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा हेतु उपलब्ध राशि के 60% तक "अल्पवृष्टि के कारण पेयजल संकट" के लिए खर्च की जायेगी। उक्त राशि निम्न बजट शीर्षो के अंतर्गत विकलनीय होगी -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (क) | मुख्य शीर्ष | - | 2245 | - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत |
| | उपमुख्य शीर्ष | - | 13.1 | - अल्पवृष्टि के कारण पेयजल संकट |
| | लघु शीर्ष | - | 102 | - पेयजल आपूत्रि |
| | उप शीर्ष | - | 02 | - पीने के पानी की पूत्रि |
| | विस्तृत शीर्ष | - | 03 | - प्रशासनिक व्यय |
| | | | 23 | - आपूत्रि एवं सामग्री |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (ख) | मुख्य शीर्ष | - | 2245 | - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत |
| | उपमुख्य शीर्ष | - | 13.1 | - अल्पवृष्टि के कारण पेयजल संकट |
| | लघु शीर्ष | - | 109 | - खराब जलापूत्रि, जल निकास तथा मल-जल निर्माण-कार्यो की मरम्मत तथा पुनःस्थापना |
| | उप शीर्ष | - | 02 | - क्षतिग्रस्त नलकूपों, पम्पसेटों आदि की मरम्मति |
| | विस्तृत शीर्ष | - | 03 | - प्रशासनिक व्यय |
| | | | 23 | - रख रखाव एवं मरम्मत |

(viii) उपरोक्त कंडिका-4 में अंकित तथ्य के आलोक में पेयजल समस्या के समाधान हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित राशि 20.00 (बीस) करोड़ रूपये मात्र पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

6. उपरोक्त निर्णय मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-12 जनवरी, 2016 को मद संख्या-07 द्वारा लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
**एन॰एन॰पाण्डेय,**
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 99—50 ।